न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

1. अपील संख्या 97/16
(जीसीएमएस संख्या 2016/00175)

निर्णय दिनांकः 30-01-26

1. नरपतसिंह पुत्र सादुलसिंह जाति राजपूत निवासी शेरपुरा तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. नानूराम पुत्र बेगाराम जाति सुथार निवासी खारबारा तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, छतरगढ़।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 04—08—2016
उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ़

उपस्थितिः—

1. श्री करणसिंह तंवर, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री राजेश बैद, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट् ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ़ के आदेश दिनांक 04—08—2016 जिसके द्वारा चक 2 के पी एम ए के मुरब्बा नम्बर 127/8 की 25 बीघा भूमि विशेष आवंटन में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित की गई है के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की सर्वप्रथम प्राथमिक आपत्तियों पर बहस सुनी गई। उसके पश्चात पत्रावली मे अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने प्राथमिक आपत्ति पर बहस करते हुए कथन किये कि अपील अपीलांट मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। अतः अपील निरस्त योग्य है। अपीलांट को अपील पेश करने की लॉक्स स्टेण्डाई हासिल नही है। अपीलांट व उसकी पत्नी के नाम 58 बीघा 3 बिस्वा भूमि है। जो कि सिलिंग से अधिक भूमि होने के कारण अपीलांट वादग्रस्त भूमि को आवंटित करवाने का अधिकारी नही है। तहसील द्वारा प्राप्त भूमि तस्दीक रिपोर्ट दिनांक 02–02–2017 से इस तथ्य की पुष्टि होती है। अतः प्राथमिक आपत्ति स्वीकार कर अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

4. अभिभाषक अप्रार्थी/अपीलांट ने जवाब प्राथमिक आपत्ति पर बहस करते हुए कथन किये कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की कोई जानकारी नही रही है। ना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को नोटिस ही दिया गया। अपीलांट को सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश का ज्ञान उस समय हुआ जब दिनांक 26.9.16 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने के लिए मौके पर पहुंचा तथा अपीलांट के विरोध करने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बतालाया कि वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित हो चुकी है। अपीलांट ने दिनांक 27.9.16 को अधीनस्थ न्यायालय में आवंटन के बारे में पुछताछ करके नकल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया नकल बाद तैयार दिनांक 27–6–16 को मिली। दिनांक 01–10–16 व 02–10–2016 को अवकाश होने के कारण 03–10–16 को अपील पेश की गई। जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निवेदन है कि अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अपीलांट द्वारा प्रश्नगत भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का आवेदन गलत रूप से खारिज किया इसलिए अपीलांट व्यथित पक्षकार होने के कारण अपील पेश करने का अधिकारी है। सिलिंग सीमा पर बहस करते हुए अभिभाषक अप्रार्थी/अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट का उसकी पत्नी से तलाक हो चुका है। अपीलांट द्वारा दिनांक 20–07–2017 की न्यायालय डिक्री की नकल पेश की। प्राथमिक आपत्ति खारिज करने का निवेदन किया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने आगे पत्रावली में मुख्य बहस करते हुए बताया कि चक 2 केपीएम (ए) के मु.नं. 127/8 की 25 बीघा भूमि विशेष आवंटन हेतु उपलब्ध थी। उक्त भूमि बाबंत अपीलांट के अलावा सिद्धेश्वर सिंह तथा रेसपोडेन्ट संख्या 1 नानूराम ने आवेदन प्रस्तुत कर किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सारी कानूनी प्रक्रिया को ताक पर रखकर आराजी जैर का आवंटन नियम विरुद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया। उक्त आदेश हर प्रकार से नियम विरूद्ध होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। वादग्रस्त भूमि बतौर विशेष आवंटन में आवंटित करवाने के लिए अपीलांट की प्रथम वरियता साबित है। उक्त वादग्रस्त भूमि अपीलांट की पूर्व आवंटित भूमि चक 2 केपीएम ए के मु.नं. 108/57 से चिपते हुए है तथा ग्राम पंचायत शेरपुरा में स्थित है, अपीलांट ग्राम पंचायत शेरपुरा का निवासी है तथा रेस्पोडेन्ट सं. 1 खारबारा पंचायत का निवासी है। नियमानुसार विशेष आवंटन की प्रक्रिया में एक से अधिक आवेदक होने पर लॉटरी द्वारा आवंटन प्रक्रिया को आगे बढाया जाता है। मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने तरीके से अपीलांट की वरियता को दरकिनार करते हुए उक्त वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है तथा अपीलांट वैकल्पिक रकबे हेतु आवेदन करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। कहते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का यह कथन कि भूमि चक 1 से 6 केपीएम रोही खारबारा से बने है इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की प्रथम वरियता बनी है यह सही नही है। वादग्रस्त भूमि ग्राम पंचायत शेरपुरा की रोही से बनी है तथा अपीलांट की प्रथम वरियता को दरकिनार कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 04–08–2016 निरस्त किया जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी जवाब बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि चक 2 के पी एम ए मुरब्बा नम्बर 127/08 में 1 ता 25 तादादी 24.10 बीघा भूमि विशेष आवंटन हेतु उपलब्ध होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उक्त भूमि को आवंटन करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त भूमि को आवंटित करवाने के लिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अलावा अन्य दो आवेदन और प्राप्त हुए। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी आवेदनो की जॉच करते हुए रेस्पोडेन्ट नानूराम ग्राम खारबारा तहसील छतरगढ़ का मूल निवासी होने के कारण तथा आवंटन योग्य भूमि रोही खारबारा से बने होने के कारण रेस्पोडेन्ट की प्रथम वरियता

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

तय की गई। रेस्पोडेन्ट नानूराम द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र, भूमि तस्दीक प्रमाण पत्र, सद्भावी कृषक प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त दस्तावेजो की जॉच करते हुए रेस्पोडेन्ट नानूराम को 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने बाबत चालान जारी किया गया। रेस्पोडेन्ट नानूराम द्वारा 35 प्रतिशत राशि का चालान प्राप्त कर 35 प्रतिशत राशि 94325/–रू. जरिये चालान संख्या 69 दिनांक 04–08–2016 खजानाराज में जमा करवा दिया गया। उक्त कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात रेस्पोडेन्ट नानूराम को उक्त भूमि का आवंटन किया गया।

अपीलांट केवल मात्र रेस्पोडेन्ट को तंग व परेशान करने की गर्ज से यह अपील पेश की है। रेस्पोडेन्ट द्वारा सूची नम्बर 4 प्रस्तुत करने का कथन करते हुए बताया कि उक्त भूमि खारबारा से ही बनी है। अपीलांट के हिस्से में 58 बीघा भूमि वर्ष 2007 में थी। उस दिन पति–पत्नी अलग नही थे ना ही तलाकशुदा थे। पति–पत्नी एक यूनिट मानी जाती है। इसलिए अपीलांट उक्त भूमि को आंवटन करवाने के पात्र ही नही थे। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अपील विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अप अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज फरमाई जावे।

अभिभाषक अपीलांट ने जवाब बहस में कथन किया कि अपीलांट का उसकी पत्नी के साथ तलाक दिनांक 20–07–2017 को हो चुका है। अपीलांट द्वारा तलाक की डिक्री पेश की गई। पति–पत्नी 2014 से अलग रह रहे है। इसलिए सिलिंग सीमा संबंधी कोई विवाद नही है। अपीलांट वादग्रस्त भूमि आवंटन करवाने के लिए सक्षम है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रकरण में अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा मुख्य रूप से निम्नाकिंत प्राथमिक आपत्तियॉ पेश की–

ए– अपील अपीलांट मियाद बाहर है।

बी– अपीलांट के धारण में सीलिंग सीमा से अधिक भूमि होने के कारण अपीलांट प्रश्नगत भूमि को आवंटित करवाने व अपील पेश करने का अधिकारी नही है।

उपर्युक्त प्राथमिक आपत्तियों पर न्यायालय का विनिश्चय निम्नानुसार है–

ए– प्रकरण में जहॉ तक मियाद का प्रश्न है यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 04–08–2016 का है तथा हस्तगत अपील दिनांक 03–10–2016 को पेश की गई। हस्तगत अपील निर्धारित अवधि 30 दिवस के पश्चात प्रस्तुत की गई है परन्तु अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विलम्ब को माफ करने का निवेदन किया है। यद्यपि रेस्पोडेन्ट द्वारा भी जवाब मियाद प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण को मियाद के बिन्दू पर खारिज करने का कथन किया है। इस संबंध में न्यायालय का अभिमत यह है कि जहॉ विलम्ब अत्यधिक नही हो वहॉ प्रकरण को तकनीकी बिन्दुओ पर खारिज करने की अपेक्षा गुणावगुण पर निर्णय किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब को कंडोन कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अतः मियाद के बिन्दू की प्राथमिक आपत्ति खारिज की जाती है।

बी– अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत भूमि तस्दीक रिपोर्ट दिनांक 02–02–2017 का अवलोकन किया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक अपीलांट नरपत सिंह एवं अपीलांट की पत्नी सुमन कंवर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में सीलिंग सीमा से अधिक भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा इस भूमि तस्दीक रिपोर्ट का खण्डन नही किया गया। अपीलांट द्वारा अपने पक्ष में पारिवारिक न्यायालय की डिक्री दिनांक 20–07–2017 प्रस्तुत कर कथन किये कि अपीलांट नरपत सिंह व उसकी पत्नी सुमन कंवर का विवाह विच्छेद हो चुका है इसलिए

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

इनकी भूमि को संयुक्त रूप से गणना नही की जा सकती। और अलग–अलग गणना करने पर अपीलांट की भूमि सीलिंग सीमा से कम है। इस संबंध में न्यायालय का अभिमत यह है कि अपीलांट द्वारा प्रश्नगत भूमि के आवंटन हेतु आवेदन वर्ष 2007 में किया गया था। जबकि अपीलांट का विवाह विच्छेद वर्ष 2017 में हुआ है। वर्ष 2007 में अपीलांट व उसकी पत्नी के संयुक्त धारण में भूमि सीलिंग सीमा से कम रही हो इस संबंध में अपीलांट द्वारा कोई मौखिक अथवा लिखित साक्ष्य प्रस्तुत नही किया। इस स्थिति में यह उपधारणा की जाएगी कि वरवक्त आवेदन व आवंटन अपीलांट प्रश्नगत भूमि को आवंटित करवाने का अधिकारी नही था। जब अपीलांट इस भूमि को आवंटित करवाने का पात्र ही नही था तो उसे अपील करने की अधिकारिता हासिल नही होती है। अपीलांट द्वारा तथ्य छुपाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन किया गया है। साथ ही अपील में भी क्लीन हेण्ड से नही आए है। इस स्थिति में लॉकस स्टेण्डाई के बिन्दू पर प्राथमिक आपत्ति स्वीकार की जाती है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

6. उपुर्यक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट को अपील पेश करने की अधिकारिता नही होने के कारण अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

7. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 30.01.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर